

प्रथम अनुपूरक अनुदान 2019-2020

(व्यय के लिये अनुसूची)

(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए गए रूप में)

(राशि रूपयों में)

मांग संख्या	विवरण		धनराशि			पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण- त्मक टीप
			मतदेय	भारित	योग		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	80,00,00,000	1,22,93,750	81,22,93,750	1	58
		पूंजी	7,27,25,400	0	7,27,25,400	1	58
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	29,00,000	0	29,00,000	3	59
03	पुलिस	राजस्व	95,00,00,000	0	95,00,00,000	4	59
		पूंजी	13,00,00,000	0	13,00,00,000	4	59
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	22,14,00,000	0	22,14,00,000	5	59
06	वित्त	राजस्व	70,21,500	0	70,21,500	6	60
07	वाणिज्यिक कर	राजस्व	24,00,00,000	0	24,00,00,000	8	60
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000	9	60
10	वन	राजस्व	1,04,69,31,200	0	1,04,69,31,200	10	60
		पूंजी	62,51,96,000	0	62,51,96,000	10	60
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000	13	61
		पूंजी	36,89,00,000	0	36,89,00,000	13	61
12	ऊर्जा	राजस्व	21,30,00,00,000	0	21,30,00,00,000	14	62
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	41,05,72,100	0	41,05,72,100	15	62
14	पशुपालन	राजस्व	10,17,99,000	7,86,000	10,25,85,000	17	63
16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	0	5,21,500	5,21,500	19	63
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1,00,87,70,000	7,00,00,000	1,07,87,70,000	20	64
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	25,00,00,000	4,50,00,000	29,50,00,000	23	65
22	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	30,54,00,000	0	30,54,00,000	24	65
		पूंजी	2,33,00,00,000	0	2,33,00,00,000	24	65
23	जल संसाधन	राजस्व	200	0	200	26	66
		पूंजी	15,00,00,00,700	0	15,00,00,00,700	26	66
24	लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल	राजस्व	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000	28	68
		पूंजी	4,50,00,00,600	0	4,50,00,00,600	28	68
26	संस्कृति	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000	31	69
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	14,34,82,00,000	0	14,34,82,00,000	32	69
		पूंजी	1,77,00,00,000	0	1,77,00,00,000	32	69
29	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000	33	70
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	100	0	100	34	70
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	15,27,93,51,000	0	15,27,93,51,000	35	70
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राजस्व	74,72,02,200	0	74,72,02,200	37	71
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	50,000	0	50,000	39	72
37	पर्यटन	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000	40	72
38	आयुष	राजस्व	76,38,00,000	0	76,38,00,000	41	72
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	10,00,00,100	0	10,00,00,100	42	72
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	3,70,22,00,100	30,00,000	3,70,52,00,100	43	73
43	खेल और युवक कल्याण	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000	44	73
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	2,26,93,00,000	0	2,26,93,00,000	45	74
47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	4,26,00,000	0	4,26,00,000	46	74
48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	0	2,92,00,000	2,92,00,000	47	74
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000	48	74
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	35,89,02,000	0	35,89,02,000	49	75
51	अध्यात्म	राजस्व	11,00,00,100	0	11,00,00,100	50	75
52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी	1,75,44,00,000	0	1,75,44,00,000	51	75
55	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	95,01,10,432	0	95,01,10,432	52	76
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रहत पर व्यय	राजस्व	1,33,85,00,00,000	0	1,33,85,00,00,000	53	76
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000	54	77
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	3,83,56,60,000	0	3,83,56,60,000	55	77

प्रथम अनुपूरक अनुदान 2019-2020

(व्यय के लिये अनुसूची)

(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए गए रूप में)

(राशि रुपयों में)

मांग संख्या	विवरण		धनराशि			(राशि रुपयों में)	
			मतदेय	भारित	योग	पृष्ठ क्रमांक	स्पष्टीकरण- त्मक टीप
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,06,00,00,000	0	1,06,00,00,000	56	77
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	50,00,00,100	0	50,00,00,100	57	78
	योग	राजस्व	2,05,87,31,20,032	13,16,01,250	2,06,00,47,21,282		
		पूंजी	27,16,12,72,800	2,92,00,000	27,19,04,72,800		
	वृहद योग		2,33,03,43,92,832	16,08,01,250	2,33,19,51,94,082		